

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

विविध दा0प्र0क0-27 / 2017

संस्थित दिनांक-28.02.2017

MJCR/306/2017

श्रीमती सरिता बाई पति दिनेश मरकाम, उम्र 25 वर्ष,
निवासी डोंगरिया (बिठली), थाना रूपझर तहसील बैहर,
हा.मु. खुमरीटोला (पाथरी), थाना मलाजखण्ड तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....आवेदिका

!! विरुद्ध !!

दिनेश मरकाम पिता धनुक मरकाम, उम्र 27 वर्ष,
निवासी डोंगरिया (बिठली), थाना रूपझर तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अनावेदक

!! आदेश !!

(दिनांक 28/04/2018 को पारित किया गया)

1. आवेदिका सरिता ने अनावेदक की पत्नि होते हुए अनावेदक से धारा-125 दं.प्र.सं. के तहत भरण-पोषण की राशि 6,000/-रुपये (छः हजार रुपये) प्रतिमाह दिलाये जाने की मांग की है।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका अनावेदक की पत्नि है। आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह जुलाई, 2014 में जाति रीति रिवाज से ग्राम खुमरीटोला थाना मलाजखण्ड में हुआ था।
3. आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस आशय का है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह जुलाई, 2014 को जाति रस्म रीति-रिवाज अनुसार ग्राम खुमरीटोला थाना मलाजखण्ड, तहसील बिरसा में हुआ था। विवाह पश्चात एक वर्ष तक आवेदिका ठीक से रहने के उपरांत अनावेदक आये दिन शराब पीकर विवाह में दहेज में कम सामान मिलने व अनावश्यक बातों को लेकर आवेदिका से मारपीट करता था तथा अनावेदक की माँ भी आवेदिका को दहेज कम लाई है, कहकर अनावेदक का साथ देती थी। आवेदिका यह सोचकर

सब सहन करती रही कि समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन हो जावेगा और सुखमय दाम्पत्य जीवन का निर्वहन होने लगेगा। दिनांक 10.07.2015 को दोपहर में 3:00 बजे जब आवेदिका के पिता आवेदिका के ससुराल आये हुए थे और आवेदिका की तबीयत खराब थी, तब भी अनावेदक ने शराब के नशे में आवेदिका के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की। आवेदिका के पिता भी अनावेदक को बहुत समझाये, तो अनावेदक ने उन्हें भी भला-बुरा कहा। आवेदिका ने उसी दिन पुलिस चौकी पाथरी में रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब पुलिस वालों ने न्यायालय में जाने की सलाह दी थी। विगत दो वर्षों से उक्त घटना के उपरांत आवेदिका अपने मायके में निवासरत है। इस बीच अनावेदक ने उसकी कोई खोज-खबर नहीं ली और ना ही उसके भरणपोषण की व्यवस्था की है, जबकि आवेदिका के भरणपोषण का नैतिक दायित्व अनावेदक का है और अनावेदक अपने दायित्व के निर्वहन में उपेक्षा कर रहा है। अनावेदक पेसे से कृषक है जिसके पास 5.00 एकड़ कृषि भूमि से आय अर्जित करता है। इसके अलावा 500/- रुपये प्रतिदिन मिस्त्री के रूप में काम कर आय अर्जित कर लेता है। आवेदिका के पास भरणपोषण का कोई साधन नहीं है। फलतः अनावेदक से 6,000/- रुपये प्रतिमाह भरणपोषण दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक ने आवेदिका के आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्य के अलावा शेष तथ्यों को अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि आवेदिका साधन संपन्न परिवार की महिला है। उसके पास 1.00 एकड़ कृषि भूमि है। आवेदिका अपनी मर्जी से मायके में निवास कर रही है। अनावेदक वर्ष 2017 में समाज के लोगों को लेकर आवेदिका के घर आवेदिका को लेने गया था, किन्तु आवेदिका ने अनावेदक के साथ आने से मना कर दिया। अनावेदक की विकलांग की माँ एवं दो छोटे भाई हैं, जिसकी सेवा से बचने के कारण आवेदिका जानबूझकर मायके में रह रही है। अनावेदक के पास कोई भूमि नहीं है। आवेदिका को अपनी भूमि से 30 क्विंटल धान हो जाता है, जो उसके

भरणपोषण के लिये पर्याप्त है। अनावेदक ने कभी भी आवेदिका के साथ मारपीट भी नहीं किया है। आवेदिका सिलाई, कढ़ाई करके भरणपोषण करने में सक्षम है। अनावेदक के विरुद्ध आवेदिका के द्वारा झूठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। फलतः अनावेदक ने आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या आवेदिका अनावेदक से पर्याप्त कारण से पृथक रह रहे है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या आवेदिका के भरण-पोषण में अनावेदक उपेक्षा बरत रहा है ?
5. सहायता एवं व्यय ?

!! निष्कर्ष एवं कारण !!

विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01

6. सरिता आ.सा.1 ने बताया है कि अनावेदक दिनेश उसका पति है। वर्ष 2014 में ग्राम खुमरीटोला में अनावेदक से उसका विवाह हुआ था। अनावेदक एक वर्ष तक उसे अच्छे से रखा, उसके पश्चात शराब पीकर कम दहेज मिलने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट करता था। अनावेदक की माँ भी कम दहेज लाये हो कहकर ताने देती थी। वर्ष 2015 में उसके पिता ससुराल आये, तो अनावेदक शराब पीकर गाली-गलौच किया और तुम्हारी लड़की को नहीं रखूंगा लड़की ले जाओ कहने लगा, तब उसने चौकी पाथरी में पुलिस में रिपोर्ट की थी। पुलिस वालों ने उसे न्यायालय में जाने की सलाह दिया था, तब से वह अपने मायके खुमरीटोला में रह रही है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने मारपीट की कोई रिपोर्ट नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 10.07.2015 को उसके पिता आये थे, तब उसके साथ गाली-गलौच मारपीट किये थे, किन्तु इससे इंकार किया है कि उसने अनावेदक के विरुद्ध झूठा आवेदन पेश किया है। इस प्रकार आवेदिका के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे आवेदिका का मुख्यपरीक्षण का कथन खंडित हुआ हो।

7. महासिंह मेरावी आ.सा.2 ने बताया है कि आवेदिका सरिता उसकी लड़की है। वर्ष 2014 में अनावेदक दिनेश से उसकी लड़की का विवाह हुआ था। विवाह के बाद अनावेदक उसकी लड़की से झगड़ा व मारपीट करता था, जिसके कारण उसकी लड़की उसके घर आ गई। वह लड़की को लेकर दुबारा उसके ससुराल गया था। उसके बाद फिर अनावेदक उससे झगड़ा करने लगा। अनावेदक लड़की को नहीं रखूंगा कहकर बाहर कमाने-खाने चला गया, तब वह अपनी लड़की को लेकर पुलिस चौकी पाथरी गया था, किन्तु पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर न्यायालय में जाने के लिये कह दिया, जिसके कारण वह लड़की को लेकर न्यायालय में आया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चौकी पाथरी वालों ने उसे कोई कागज नहीं दिया था। स्वतः बताया है कि रिपोर्ट किये थे, किन्तु कोई कागज नहीं दिये थे तथा इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों के साथ बेटी को लेकर अनावेदक के यहाँ भिजवाया, किन्तु अनावेदक नहीं रखना चाहता है तथा इससे भी इंकार किया है कि आवेदिका अनावेदक के घर नहीं रहना चाहती और स्वयं की इच्छा से मायके में रह रही है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अनावेदक की मारपीट के कारण लड़की को पृथक रहना बताया है, जो कि आवेदिका का अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है।

8. दिनेश अना.सा.01 ने बताया है कि उसकी माँ एक हाथ से विकलांग है तथा दो छोटे भाई हैं। वह अपने माँ की सेवा करता है तथा दोनों छोटे भाई की भी देख-रेख करता है तथा आवेदिका सरिताबाई उसके घर से इसलिये चली गई क्योंकि वह उसके दो छोटे भाई एवं विकलांग माँ की सेवा नहीं कर सकती। वह आवेदिका को लेने भी गया था, किन्तु आवेदिका ने कोर्ट में प्रकरण पेश कर दिये हैं, इसलिये उसके साथ नहीं आने की बात कह दिया था। आवेदिका के पिता ने उसे ससुराल में घर जवाई बनकर रहने के लिये कहा था, किन्तु उसने अपने विकलांग माँ एवं दोनों छोटे भाईयों के कारण रहने से मना कर दिया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि वह आवेदिका

को शराब पीकर मारपीट करता था तथा इससे भी इंकार किया है कि जब आवेदिका के पिता उसके घर आये थे, तब उसने उनके साथ गाली-गलौच की थी। अनावेदक ने अपनी माता एवं छोटे भाईयों की देख-रेख से बचने के कारण आवेदिका को मायके में रहना बताया है, किन्तु आवेदिका ने अनावेदक के द्वारा शराब पीकर मारपीट करने और कम दहेज लाने की बात को लेकर मारपीट करने की बात बताई है। उक्त तथ्यों को अनावेदक ने अपने कथन के दौरान खंडित नहीं किया है।

9. लामूसिंह अना.सा.02 ने बताया है कि वह आवेदिका एवं अनावेदक को जानता है। अनावेदक की माँ विकलांग है, जिसकी देखभाल अनावेदक करता है। वर्ष 2017 में अनावेदक के साथ आवेदिका को लेने गया था, मीटिंग हुई थी, उसमें आवेदिका के पिता ने कोर्ट में मामला पेश कर दिये हैं कहकर आवेदिका को भेजने से इंकार कर दिया था। आवेदिका अपनी इच्छा से मायके में रह रही है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अनावेदक आवेदिका को शराब पीकर मारपीट करता था, जिसके कारण आवेदिका अपने मायके चली गई। इस प्रकार मारपीट के तथ्य के संबंध में अनावेदक के साक्षी ने कोई जानकारी नहीं होना बताया है।

10. इस प्रकार आवेदिका ने दहेज की मांग को लेकर एवं शराब पीकर अनावेदक द्वारा मारपीट करने की बात बताई है, जिसकी पुष्टि उसके पिता महासिंह मेरावी ने भी की है। प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य खंडित नहीं हुआ है तथा अनावेदक ने अपने साक्ष्य के दौरान में उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है। फलतः आवेदिका अनावेदक द्वारा दहेज की मांग व शराब पीकर मारपीट करने के कारण ही अनावेदक से पृथक रह रही है जो कि आवेदिका का अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण मौजूद है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02, 03 एवं 04

11. सरिता अ.सा.1 ने बताया है कि आवेदिका के पास कोई आय का साधन नहीं है। अनावेदक ने उसकी खोज-खबर नहीं ली है और ना ही

भरणपोषण की कोई व्यवस्था किया है। प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह धान कटाई के समय धान काटने जाती है, जिसमें उसे 50/— रुपये एक दिन में मिलता है। धान कटाई लगभग डेढ़ माह होती है। उसके पास घास की जमीन लगभग 1.00 एकड़ है, जिसमें दो-तीन खंडी धान हो जाता है, जो उसके खाने के लिये हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदिका को मजदूरी मिलने पर वह मजदूरी कर लेती है तथा उसके खाने लायक धान भी हो जाता है, किन्तु आवेदिका वर्ष भर में कुछ दिन मजदूरी करती है और उसके खाने के लिये कुछ धान हो जाता हो तो मात्र उक्त तथ्य ही उसे अनावेदक से भरणपोषण प्राप्त करने से वर्जित नहीं करता, क्योंकि वर्ष के अन्य दिनों में जब उसके पास मजदूरी नहीं होती, तब भी उसे भरणपोषण के लिये रुपयों की आवश्यकता होगी तथा सिर्फ धान के अलावा जीवन यापन के लिये वस्त्र, दवाई, निवास व्यवस्था आदि की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिये भरणपोषण की रकम की आवश्यकता होती है तथा अनावेदक ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आवेदिका के भरणपोषण के लिये कोई व्यवस्था की है, जिससे यह प्रकट है कि आवेदिका के पास अपने भरणपोषण के लिये आय का पर्याप्त साधन नहीं है और अनावेदक उसकी भरण पोषण में उपेक्षा कर रहा है।

12. सरिता अ.सा.01 ने बताया है कि अनावेदक के पास 5.00 एकड़ कृषि भूमि है तथा अनावेदक मिस्त्री का काम करता है, जिससे उसे 6,00,000/— रुपये वार्षिक आय होती है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अनावेदक की भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रकरण में आवेदिका की ओर से अनावेदक की भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये है। महासिंह अ.सा.02 ने भी बताया है कि अनावेदक के पास 5.00 एकड़ कृषि भूमि है तथा अनावेदक मिस्त्री का काम करके 5,000/— रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त कर लेता है, किन्तु अनावेदक की निश्चित आय के संबंध में व कृषि भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं

है। यद्यपि अनावेदक दिनेश अना.सा.01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है तथा प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि कृषि भूमि से 5,00,000/- रुपये एवं मिस्त्री कार्य से 500/- रुपये प्रतिदिन आय अर्जित करता है, किन्तु स्वयं अनावेदक ने यह स्वीकार किया है कि वह स्वस्थ व्यक्ति है तथा जवाब में भी यह स्वीकार किया है कि वह आंशिक रूप से मजदूरी कर जैसे तैसे अपना भरणपोषण करता है, जिससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है तथा मजदूरी कर लेता है। यद्यपि अनावेदक की निश्चित आय प्रकट नहीं है, किन्तु यह प्रकट है कि अनावेदक मजदूरी करने में सक्षम है, जिससे अनावेदक के कथन से ही प्रकट है कि वह पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक:-05

13. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से यह प्रकट है कि आवेदिका सरिता अनावेदक से पर्याप्त कारण से पृथक रह रही है तथा अनावेदक पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति होकर आवेदक के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। यह भी प्रमाणित है कि आवेदिका के आय के कोई निश्चित साधन नहीं है तथा भरण-पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका ने साक्ष्य में स्वयं के लिए 6,000/-रुपये की मांग की है, किंतु अपने और अनावेदक के जीवन स्तर के बारे में नहीं बताया है। अनावेदक मजदूरी कर जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति है। यद्यपि अनावेदक को आवेदिका की ओर से यह भी सुझाव दिया गया है कि वह मजदूरी कर लेती है तथा आवेदिका ने बताया है कि वह धान कटाई की मजदूरी कर लेती है तथा खाने के लिये कुछ धान भी हो जाता है, जिससे यह भी प्रकट है कि आवेदिका भी मजदूरी करके कुछ आय अर्जित कर सकती है, तो भी आवेदिका के कुछ आय अर्जित करने में सक्षम होने मात्र से अनावेदक पत्नि के भरण-पोषण के दायित्व से उन्मोचित नहीं हो जाता है। फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आदेश दिनांक से अनावेदक, आवेदिका सरिता को प्रत्येक माह 600/- (छः सौ) रुपये प्रतिमाह अदा करेगा एवं आवेदन पत्र

प्रस्तुत करने का व्यय 1,000/— (एक हजार) रुपये अदा करेगा।

14. आदेश की प्रति आवेदिका को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)